झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

सं0 सं0-04/आ01-55/2016........./ राँची, दिनांक-................................./

श्री राम यतन राम, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज सम्प्रति उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राँची के विरूद्ध अपीलवाद संख्या-1240/2015 सच्चिदानन्द बनाम जन सूचना पदाधिकारी, साहेबगंज के मामले में तत्कालीन जन सूचना पदाधिकारी-सह-जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज के विरूद्ध सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-20(2) के तहत विभागीय कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के आलोक में श्री सतीश चन्द्र सिंकु, तत्कालीन जन सूचना पदाधिकारी-सह-जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत प्रतिवेदित जाँच निष्कर्ष के सम्यक समीक्षोपरांत आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने वाले पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए उनके सभी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त के क्रम में श्री रामयतन राम, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज के विरूद्ध आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने एवं उक्त के द्वारा सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघने करने के प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-354 दिनांक-28.01.2019 द्वारा झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-17 एवं 14 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी द्वारा आवेदक को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवारी से मुक्त नहीं माना गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित जाँच निष्कर्ष पर विभागीय पत्रांक-2737 दिनांक-28.08.2019 द्वारा नैसर्गिक न्याय के तहत अवसर प्रदान करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त की गई। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के सम्यक समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी के द्वारा पर्यवेक्षण के आभाव के कारण आवेदक को सूचना ससमय उपलब्ध नहीं कराने का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

5. उपर्युक्त प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए श्री राम के विरूद्ध निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

6. उपर्युक्त निर्णय के साथ ही श्री राम के विरूद्ध संचालित उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(आदित्य कुमार आनन्द)

सरकार के संयुक्त सचिव।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
झारखण्ड, राँची
डायरी सं0 187
दिनांक 05-12-2019

05.12.19

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–3724/ राँची, दिनांक–03-12-19/

प्रतिलिपिः– विभागीय नोडल पदाधिकारी ई० गजट को सरकारी गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

Smt. Sarojini Sinha
U.S. (प्रा. बि.)
3/12/19

222
4-12-19

Scanned by CamScanner